

**त्वरित नियांत्रित विकास प्रोत्साहन योजना के
अन्तर्गत प्रदेश के नियांत्रितकों को
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन विकास हेतु
वित्तीय सहायता**

संक्षिप्त विवरण

- ▶ प्रदेश के निर्यातिकों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, विपणन सामर्थ्य के विकास, प्रमुख वैश्विक बाजारों एवं उनकी मांग के विषय में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित
- ▶ उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 के प्रस्तर 7 के बिन्दु संख्या 7.1.1 में किये गये प्रावधान के अनुसार “त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना” के अन्तर्गत “अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातिकों के लिये विपणन सहायता कार्यक्रम” को समयानुकूल एवं युक्तिसंगत बनाये जाने का निर्णय लिया गया

योजनान्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु आर्थिक सहायता

अनुमन्य

विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेला-प्रदर्शनी, बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग अथवा आयोजन हेतु आर्थिक सहायता।

निर्यात उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन, वेबसाइट, कैटलॉग आदि के प्रकाशन, निर्माण एवं मुद्रण आदि हेतु आर्थिक सहायता।

विदेशी क्रेता को नमूने (Free Trade Sample) भेजने हेतु आर्थिक सहायता।

गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित प्रमाणीकरणों हेतु आर्थिक सहायता।

प्रावधान जिनमें वित्तीय सहायता की सीमा में संशोधन किया गया है:

S. N.	Area	Incentives provided earlier	Revised Incentives	Old Ceiling	Revised Ceiling
1	Participation in International trade events, B2Bs etc.	60% of Stall charges	60% of Stall charges	Rs. 1 Lakh	Rs. 2 lakhs
		50% of economy class air fare	50% of economy class air fare	Rs. 50,000	Rs. 1 Lakh
2	Advertising, website development, catalogue printing	60% of the expense incurred	60% of the expense incurred	Rs. 60,000	Rs. 75,000
3	Cost of sending samples	75% of the expense incurred	75% of the expense incurred	Rs. 50,000	Rs. 1 Lakh
4	Certification and quality testing	50% of the expenses incurred	50% of the expense incurred	Rs. 75,000	Rs. 2 Lakhs

13.05.2022 के GO में उल्लिखित नवीन प्राविधान

S. N.	Area	Incentives	Ceiling
1	Participation in virtual trade fairs	60% of expense incurred or Rs.25,000 per event	Rs. 1 Lakh
2	Participating in Domestic events of international scale	60% of Stall charges	Rs. 50,000
		50% of economy class air fare, rail or bus fare	Rs. 25,000
3	Organizing trade fairs, Buyer seller meets in foreign nations	75% of expense incurred by the organizing agency	Rs. 75 Lakhs
		90% of expense incurred by the organizing agency for markets with high export potential where UP's exports can be potentially scaled up	Rs. 75 Lakhs
4	Organizing trade fairs in India of international scale	75% of expense incurred by the organizing agency	Rs. 50 Lakhs
5	Organizing virtual trade fairs	75% of expense incurred by the organizing agency	Rs. 25 Lakhs

योजनान्तर्गत उल्लिखित आर्थिक
सहायता हेतु आवश्यक प्रपत्रों की
सूची

निर्यातक इकाई के व्यक्तिगत रूप से विदेशी मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर्स-सेलर्स मीट में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता।

आवश्यक अभिलेख

1. पासपोर्ट
2. वीज़ा
3. बोर्डिंग पास (यदि उपलब्ध हो)
4. पासपोर्ट पर ओरिजन तथा गन्तव्य देशों के आगमन एवं प्रस्थान की तिथि मोहर सहित (यदि बोर्डिंग पास उपलब्ध न हो)
5. स्टाल एलाटमेन्ट लेटर
6. स्टाल चार्ज का इनवाईस
7. बैंक स्टेटमेन्ट (स्टाल चार्ज एवं एयर फेयर के भुगतान की पुष्टि हेतु)

निर्यातक इकाई द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल फेयर में प्रतिभाग करने पर आर्थिक सहायता

आवश्यक अभिलेख

1. एलाटमेन्ट लेटर
2. पेमेन्ट रसीद
3. सर्विस प्रोवाईडर द्वारा उपलब्ध कराया गया
पत्र/सर्टिफिकेट जिसमें उक्त फेयर के सब्सिडाईज्ड
अथवा नॉन सब्सिडाईज्ड होने का विवरण हो।
4. स्क्रीन स्लैपशॉट (मेले में भागीदारी के प्रमाणन हेतु)

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों में निर्यातक इकाई के
व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग करने हेतु आर्थिक सहायता

आवश्यक अभिलेख

1. स्टाल एलाइमेन्ट लेटर
2. बैंक स्टेटमेन्ट (स्टाल चार्जेज एवं एयर फेयर के
भुगतान की पुष्टि हेतु)
3. यात्रा की पुष्टि का साक्ष्य (टिकट/बोर्डिंग पास जो
भी उपलब्ध हो)
4. स्टाल चार्ज का इनवाईस

विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता

आवश्यक अभिलेख

1. निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर्स-सेलर्स मीट हेतु किराये पर लिये गये स्थल का विवरण।
2. उक्त मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग करने वाली निर्यातक इकाईयों की सूची।
3. उक्त समस्त निर्यातक इकाईयों के बोर्डिंग पास/पासपोर्ट/वीज़ा
4. निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु किये गये भुगतान का साक्ष्य। (बैंक स्टेटमेन्ट/रिसिप्ट/ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन डिटेल)
5. उक्त मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग करने वाली निर्यातक इकाईयों पर किये गये व्यय का साक्ष्य।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय

सहायता

आवश्यक अभिलेख

1. निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर्स-सेलर्स मीट हेतु किराये पर लिये गये स्थल का विवरण।
2. उक्त मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग करने वाली निर्यातिक इकाईयों की सूची।
3. उक्त समस्त निर्यातिक इकाईयों के यात्रा की पुष्टि का साक्ष्य (टिकट/बोर्डिंग पास जो भी उपलब्ध हो)
4. निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु किये गये भुगतान का साक्ष्य। (बैंक स्टेटमेन्ट/रिसिप्ट/ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन डिटेल)
5. उक्त मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग करने वाली निर्यातिक इकाईयों पर किये गये व्यय का साक्ष्य।

वर्चुअल मेला प्रदर्शनी के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता

आवश्यक अभिलेख

1. सर्विस प्रोवाइडर द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त इनवायस।
2. प्रतिभाग करने वाली इकाईयों की सूची।
3. प्रदर्शनी में न्यूनतम 100 एम.एस.एम.ई./हस्तशिल्पी इकाईयों जिनमें से 50 प्रतिशत इकाईयां निर्यातिक हों, द्वारा प्रतिभाग किये जाने का साक्ष्य।
4. प्रश्नगत वर्चुअल मेला प्रदर्शनी में प्रतिभाग/विजिट करने वाले क्रेताओं की सूची।
- 5 स्क्रीन स्नैपशॉट

निर्यात उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विदेशी पत्र-पत्रिकाओं,
मैगज़ीन, समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन, नई
वेबसाइट के निर्माण, उत्पाद से सम्बन्धित कैटलॉग आदि
के मुद्रण एवं डिजिटल कैटलॉग के निर्माण हेतु आर्थिक
सहायता

आवश्यक अभिलेख

1. कैटलॉग की प्रति (हार्ड/सॉफ्ट जो भी उपलब्ध हो)
2. सर्विस प्रोवाईडर की इनवाईस
3. बैंक स्टेटमेन्ट (भुगतान के साक्ष्य हेतु)

विदेशी क्रेता को नमूने (Free Trade Sample)

भेजने हेतु आर्थिक सहायता।

आवश्यक अभिलेख

1. एक्सपोर्ट इनवाईस
2. कोरियर इनवाईस
3. बैंक स्टेटमेन्ट (भुगतान के साक्ष्य हेतु)
4. एयरवे बिल (एकचुअल सर्विस प्रोवाईडर)
5. यदि एयरवे बिल उपलब्ध न हो तो डिलवरी रिपोर्ट (साक्ष्य हेतु)

गुणवत्ता नियंत्रण, कम्प्लाईन्सेस/रेगुलेशन आदि से सम्बन्धित
विभिन्न प्रमाणीकरण प्राप्त किये जाने एवं बायर्स/बायर कन्फ्री द्वारा
मांगे जाने पर उक्त प्रमाणीकरणों से सम्बन्धित उत्पादों के परीक्षण
(विभिन्न टेस्टिंग लैब्स द्वारा) पर आने वाले व्यय हेतु आर्थिक
सहायता।

आवश्यक अभिलेख

1. पेमेन्ट रिसिप्ट
2. गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

QUERIES AND DISCUSSION

THANK YOU